छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 26,1946)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 503/एफ 3 (2)/48/सं.का./2020, दिनांक 1 अक्टूबर,2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) पटल पर रखेंगे।

(3) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2024–2025 के संदर्भ में प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, प्रदेश के निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना की राशि जमा नहीं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र धरसीवां में अवैध प्लॉटिंग किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चंद्राकर, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठम् सप्तम्, अष्ठम्, दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम मोहगांव में कन्या शाला खोलने,
(ii) ग्राम रेहुंटाकला में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
(iii) ग्राम देवानपटपर में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
(iv) ग्राम मोहतरा में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
(v) ग्राम बघर्रा में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
(vi) ग्राम सोनपुरी गुढा में माध्यमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
(vii) ग्राम बुधवारा में हाई स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
(viii) ग्राम बिरेन्द्र नगर से जमुनिया तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
(ix) ग्राम धरमगढ़ से अचानकपुर तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
(x) ग्राम कोसमंदा से हीरापुर तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
(xi) ग्राम कोयलारी से धौराबंद तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
(xii) ग्राम महली से दुल्लापुर कला–अखरा होते हुए कुण्डा तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
(xiii) ग्राम गौरमाटी में नाले पर पुलिया निर्माण करने,
(xiv) ग्राम बनिया में कुथरही बाहरा खार नदी पर पुलिया निर्माण करने,

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) साजा से भेण्डरा मार्ग पुल–पुलिया सहित निर्माण करने,
(ii) ग्राम माहुद (अ) मटेवा बाट रोड (माहुद मुख्य मार्ग से अर्जुन्दा तक) का पुल–पुलिया सहित निर्माण करने,
(iii) ग्राम तिलोदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,
(iv) ग्राम सियनमरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(v) ग्राम चिचबोड़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा
(vi) ग्राम कचांदुर में संचालित मूक–बधिर दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का नियमित संचालन करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, (नगरीय प्रशासन एवं विकास), छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, (नगरीय प्रशासन एवं विकास), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(5) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(6) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2024–2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 41, 44, 53, 55, 56, 64, 65, 67, 68, 71, 80, 81, 82 एवं 83 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **आठ सौ पांच करोड़, इकहत्तर लाख, चौहत्तर हजार, दो सौ छियासी रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

3 घंटे

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 16 दिसम्बर, 2024